



यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली


मु० न०:- 60 / 2021

तारीखरजू:- 28/6/2021

उनवान:- बाबूसिंह बनाम राजोदेवी

दावा वावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
8/6/21	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा राज0टी0एक्ट, के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19 .07. 2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (दुर्गा प्रसाद मीना)                      उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>	<p>3151-55 28/6/21</p>
19.7.21	<p>वादी वकील उप प्रतिवादी नं. 1 से पत्र समन प्राप्त करने से इनकार किया है प्रतिवादी नं. 2 समन सूचना उप नही है। 1.0.20 दौरे पर पधारने वाले तहसील क्षेत्र के 4-8-21 को पेश हो।</p>	
4-8-21	<p>वादी वकील उप प्रतिवादी नं. 1 समन प्राप्त पकी और से श्री सुनील कुमार शिन्दर एडवोकेट ने बकाबालनामा पेश किया और क्षामीय पत्रावली देते पत्रावली में कपेसी पत्रावली है। वाले तहसील क्षेत्र दिनांक 1-9-21 को पेश हो।</p>	
01.09.21	<p>वादी वकील/वकील उमय बक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... दौरे पर पधार है। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 2.9.21 को पेश हो।</p>	
29.9.21	<p>वादी वकील/वकील उमय बक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... करौली जिला में पधार है। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 1.10.21 को पेश हो।</p>	
14.10.2021	<p>पत्रावली प्रशासन में डे स्टाफ उपस्थित, उमय बक्ष जॉल में पेश हुई। पत्रावली में प्रथम ही नही है पत्रावली न्यायालय में दिनांक 20.10.21 को पेश हो।</p>	



# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

<p>25-5-25</p>	<p>पतापकी फेर डूरी / वकील वाडी के उपस्थित              होकर इस वापर प्राचीन पत्र फेर किया की उपस्थिति              प्रकरण में आशानी लगीय फेर किया कि मस 3.6.2025              नियत है। उक्त प्रकरण में पञ्जापराण के मध्य              राजीनामा हो-चाक है। आगे मुकदमा खरना नही              चाहे है। पञ्जापराण के मध्य शर्जि नामा है गया              है। वाडी वकील के प्राचीन पत्र का कोपलेखन              किया पतापकी संबंध की गई। निमसे में सहमत              है। इसलिये वाडी उप वाडी का डापा वापर गवकषा              रूपी निवेद्याला नो-प्रेस में खारिज किया              जाता है। पतापकी फेर लखुमार होकर नमका              से कम कर शरिख उपर है।</p>
----------------	--

Not in order  
 मस 3.6.25  
 वकील वाडी  
 21.5.25

25/5/25